

**न्यायालय**  
**उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कूचामन**  
**(कोर्ट कैम्प दिनांक 24.04.2025)**

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 24.04.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, ..... इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम /पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध नाम/प्रविष्टि	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
120/2025	गुमानकवर पत्नी मोहनसिंह	कांसेडा/ खारडिया	167	66	गुमानसिंह पत्नी मोहनसिंह	गुमानकवर पत्नी मोहनसिंह
121/2025	ओमप्रकाश पुत्र श्योजीराम	खारडिया/खारडिया	76	<del>440, 441</del> 440, 441	ओमाराम पुत्र श्योजीराम	ओमप्रकाश पुत्र श्योजीराम
122/2025	मालूराम पुत्र जमनाराम गुर्जर	नरसिंहपुरा/ महाराजपुरा	6	29, 30, 35 से 37	मालीराम पुत्र जनमाराम मालाराम पुत्र जमनाराम गुर्जर	मालूराम पुत्र जमनाराम गुर्जर
			17	42, 48 से 50		
			18 23	51 से 53, 43		
			22	100/52, 105/28, 106/26 107/27, 108/26 109/28, 110/40, 111/39 112/53, 27,33,34,38,39,40,54,55,57 58, 98/49, 99/51		
21	14, 15, 4, 5, 6, 9, 92/8, 93/7					

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक ..... आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)  
उपखण्ड अधिकारी नावां

दिनांक : 24.04.2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां